प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 10.11.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना फूलबेहड पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त आरिफ उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.21 को थाना फूलबेहड पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त आरिफ उर्फ मोनू पुत्र जब्बार नि0 ग्राम सून्दरवल थाना फूलबेहड जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त रामपाल को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.21 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त रामपाल पुत्र सोबरनलाल नि0 ग्राम बन्द्रीपुर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भीरा पर मु0अ0सं0 422/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त कौशल लोनिया को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.21 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 730/21 धारा 408 भादवि0 , मु0अ0सं0 539/21 धारा 437/380/511 भादवि0 व मु0अ0सं0 722/21 धारा 457/380 भादवि0 में वांछित अभियुक्त कौशल लोनिया पुत्र बंदे निवासी मंडौर बाजार थाना सकरन जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त मनीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.11.21 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 331/2021 धारा 363/366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मनीष मिश्रा पुत्र राम सागर निवासी नि0 ग्राम पलिया थाना ईसागनर जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

<u>वांछित अभियुक्त का विवरण-</u>
मनीष मिश्रा पुत्र राम सागर मिश्रा नि0ग्राम पलिया थाना ईसानगर जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 दीपक राठौर थाना फरधान
2. का0 अंगद यादव

यातायात माह, नवम्बर 2021 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

माह नवम्बर में "यातायात जागरूकता अभियान" चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चालकों को जागरूकता पैम्पलेट देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे।

यातायात जागरूकता अभियान के तहत शहर के सेठ घाट छठ पूजा स्थल, चौधरी मोड़ तिराहा व अन्य स्थानों पर पैम्लेट वितरण, लाउडस्पीकर, म्यूजिक के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में बताया गया । नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्द मुख्य रूप से नाबालिक द्वारा व गलत दिशा में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 145 वाहनो का चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ0सं0 2727/15 धारा 147/148/149/323/504/506/457/427 भादवि में वारंटी 04 नफर अभियुक्तगण 1. रामू पुत्र महावीर 2. रामस्वरुप पुत्र मेवालाल 3. विद्यांचल पुत्र रामस्वरुप 4. मुंशी पत्नी गुड्डू सर्व निवासीगण फुलवीरा थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 90 लीटर अवैध शराब सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची, 03 शराब भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **04 अभियोग** पंजीकृत किया गया।

क्र0सं0	**थाना**	**बरामदगी**	**गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या**
1.	**थाना फूलबेहड़**	**40 लीटर**	**02 अभियुक्त गिरफ्तार**
2.	**थाना खीरी**	**40 लीटर**	**01 अभियुक्त गिरफ्तार**
3.	**थाना पसगवां**	**10 लीटर**	**01 अभियुक्त गिरफ्तार**
	कुल योग	**90 लीटर**	**04 अभियुक्त गिरफ्तार**